"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक, टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2006—माघ 7, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ 7-15/2005/1/6.—राज्य शासन ने, केन्द्र शासन द्वारा जारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (1) में की गई अपेक्षा के अनुसार, दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को "छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग" का गठन किया है. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त श्री ए. के. विजयवर्गीय द्वारा सोमवार दिनांक 7 नवम्बर, 2005 को प्रातः 11 बजे राजभवन रायपुर में शपथ ग्रहण किया.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2006

क्रमांक ई-7/21/2004/1/2.—श्री अजय सिंह, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 28-12-2005 से 30-12-2005 तक (03 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2006

क्रमांक 04/944/2005/1-8/स्था.—श्री याकुब खेस्स, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिनांक 26-12-2005 से 7-1-2006 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 8-1-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री याकुब खेस्स को अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री खेस्स अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2006

क्रमांक 06/1027/2005/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1191/986/2005/1-8/स्था., दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 द्वारा श्री ए. मिंज, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 26-12-2005 से 3-1-2006 तक 09 दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त करते हुये दिनांक 29-12-2005 से 7-1-2006 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 8-1-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. शर्तें आदेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 के अनुसार यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2006

क्रमांक 08/1505/2005/1-8/स्था.—श्री आर. पी. मोदी (संविदा पर नियुक्त) विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, गृह विभाग को दिनांक 27-6-2005 से 6-7-2005 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मोदी को वि. क. अधि., गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोदी अवकाश पर नहीं जाते तो वि. क. अधि., गृह विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2006

क्रमांक 10/1034/2005/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1197-98/977/2005/1-8/स्था., दिनांक 24 दिसम्बर, 2005 द्वारा श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 12-12-2005 से 16-12-2005 तक 05 दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 17-12-2005 से 28-12-2005 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शर्तें आदेश दिनांक 24 दिसम्बर, 2005 के अनुसार यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2006

क्रमांक 12/1000/2005/1-8/स्था.—श्री एन. के. भट्टर, रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 16-1-2006 से 28-1-2006 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 29-1-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. इनके अवकाश अवधि में श्री के. के. बाजपेयी, अवर सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ श्री भट्टर का कार्य भी करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री भट्टर को रजिस्ट्रार छ.ग. मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री भट्टर अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार, छ.ग. मंत्रालय के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2006

क्रमांक 100/13/ऊवि/आंध./वि.शुल्क छूट/06.—चूंकि राज्य शासन की यह राय है कि प्रदेश की मिनी स्टील, स्पंज आयरन इकाईयों तथा रोलिंग मिल उद्योगों को राहत देने के लिये ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है.

2. अतएव छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. X वर्ष 1949) धारा-3 (बी.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य के स्पंज आयरन इकाईयों, मिनी स्टील प्लांट्स तथा रोलिंग मिल उद्योगों को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत करती है:—

(अ) यह छूट ऐसी औद्योगिक इकाईयों को नहीं मिलेगी जो अपनी विद्युत की आवश्यकता की पूर्ति, केप्टिव पावर प्लांट (इकाईयों की सहयोगी कंपनी/कंपनियों द्वारा स्थापित केप्टिव इकाईयां भी सम्मिलित है) से करती है और विद्युत मण्डल से केवल स्टार्ट-अप पावर प्राप्त करती हैं.

(ब) विद्युत शुल्क में छूट दिनांक 1-1-2006 से 31-3-2006 तक प्रभावशील रहेगी.

3. यह अधिसूचना दिनांक 1-1-2006 से लागू होगी.

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2006

क्रमांक 117/13/ऊवि/रिया./2006.—राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की स्वतंत्र तथा इंटीग्रेटेड मिनी स्टील प्लांट्स तथा रोलिंग मिल मालिकों को डिमाण्ड चार्जेस (मांग प्रभार) में रियायत दी जाए.

छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा स्वतंत्र तथा इंटीग्रेटेड मिनी स्टील प्लांट्स तथा रोलिंग मिलों से रुपये 275 प्रति के.वी.ए. के स्थान पर रुपये 150 प्रति के. वी. ए. तथा रुपये 175 प्रति के. वी. ए. के स्थान पर रुपये 100 प्रति के. वी. ए. न्यूनतम डिमाण्ड चार्जेस वसूल किया जाए.

यह रियायत ऐसी औद्योगिक इकाईयों को नहीं मिलेगी, जो अपने विद्युत की आवश्यकता की पूर्ति कैप्टिव पावर प्लांट (इकाईयों की सहयोगी कंपनी/कंपनियों द्वारा स्थापित कैप्टिव पावर प्लांट सम्मिलित) से करती हैं और विद्युत मण्डल से स्टार्ट-अप पावर प्राप्त करती हैं.

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 में दिये गये प्रावधान अनुसार इस राशि का अग्रिम भुगतान राज्य शासन द्वारा छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा मांग करने पर किया जावेगा.

उपर्युक्त छूट 1 जनवरी, 2006 से .. मार्च, 2006 तक ही लागू रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2006

क्रमांक 21/670/2003/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा बैकलॉग के पद पर चयनित (468) श्री छन्नू सिंह खान्डे (प्रा.) अनुसूचित जाति को सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500 में नियुक्त करते हुए कार्यालय सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग अंबिकापुर में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है.

2. परिवीक्षाधीन अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बॉन्ड शासन के हित में निष्पादित करना होगा, कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पार न करने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

3. चयनित परिवीक्षाधीन अधिकारी, आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति अधीक्षण अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुख्य विद्युत निरीक्षकालय, बैरन बाजार, रायपुर, छ. ग. रायपुर में अनिवार्यतः देंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को, अपनी परिवीक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकेगा. यदि परिवीक्षा अधिकारी उपरोक्तानुसार विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न हुआ हो अथवा जो सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया हो, की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के अंत में समाप्त की जा सकेंगी. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवाएं परिवीक्षा अवधि के दौरान भी समाप्त की जा सकेंगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में, उसका उपयुक्त शासकीय कर्मचारी बनना संभव न हो.

5. अधिकारी की परिवीक्षा अवधि की समाप्ति, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के अंतर्गत शासित होंगी.

6. उक्त पदाभिलाषी की नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाए जाने पर सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी.

7. यदि अनुसूचित जाति के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण-पत्र गलत पाए गए तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जावेगा तथा आपके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेंगी.

8. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, प्रमुख सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 11-2/खाद्य/2002/29.—वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 20 (1) (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन, रायपुर के संचालक मण्डल में राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एम. के. राउत, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संचालक के रूप में नामांकित करता है.

Raipur, the 4th January 2006

No. F 11-2/food/2002/29.— In exercise of powers conferred in section 20 (1) (b) of the Warehousing Corporation Act, 1962, Shri M. K. Raut, Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Deptt. of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, is hereby nominated by the State Govt. as the Director from the date of his joining as the Board of Director of the Chhattisgarh State Warehousing Corporation.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, विशेष सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

क्रमांक 110/2952/2002/12.—जिला धमतरी एवं रायपुर के अंतर्गत खनिज हीरा एवं अन्य सहयोगी खनिजों के अन्वेषण हेतु 1360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये मेसर्स एसीसी रियो टिंटो एक्स्प्लोरेशन प्रा. लि. के पक्ष में दिनांक 28-12-2002 को स्वीकृत रिकॉनेसन्स परमिट के अनुबंध का निष्पादन दिनांक 28-2-2003 को हुआ था.

2. कम्पनी ने, अनुबंध निष्पादन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के पूर्व, एम. सी. आर. 1960 के नियम 7(1) (i) (a) एवं (b) के तहत संपूर्ण स्वीकृत क्षेत्र (1360 वर्ग किलोमीटर) का त्याग (Relinquish) किया है, जिसके अक्षांश-देशांश अनुसूची-एक में उल्लिखित हैं.

अनुसूची-एक
(टोपोशीट क्र. 64 जी, 64 एच एवं 64 के, के भाग)

स.क्र.	बिंदु	अक्षांश	देशांश	स.क्र.	बिंदु	अक्षांश	देशांश
1.	A	81° 51' 20"	21° 16' 22"	3.	D	81° 49' 30"	20° 46' 08"
2.	B	82° 05' 50"	21° 16' 22"	4.	C	81° 38' 00"	20° 50' 54"

3. अनुसूची-एक में उल्लिखित क्षेत्र (1360 वर्ग किलोमीटर) को खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 59 (1) (ii) के अन्तर्गत खुला घोषित किया जाता है.

4. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस पश्चात् खनि-रियायतों के पुन: अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. आर्य, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2006

फा. क्र. 3190/3 (बी)/37/2005/21-ब.—राज्य शासन, श्री विजय कुमार साहू, आत्मज श्री रोहित कुमार साहू, मेरिट क्रमांक-37 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2006

फा. क्र. 40/3(बी)/13/2005/21-ब.—राज्य शासन, कु. हिमांशु जैन, आत्मजा डॉ. निर्मल चन्द जैन, मेरिट क्रमांक-13 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2006

फा. क्र. 3270/3(बी)/03/2005/21-ब.—राज्य शासन, श्री विवेक कुमार तिवारी, आत्मज श्री रामजी तिवारी, मेरिट क्रमांक-03 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2006

फा. क्र. 3189/3(बी)/42/2005/21-ब.—राज्य शासन, कु. प्रतिभा वर्मा, आत्मजा श्री बहलराम वर्मा, मेरिट क्रमांक-42 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2006

फा. क्र. 2741/3(बी)/14/2005/21-ब.—राज्य शासन, श्री अनिष दुबे, आत्मज श्री विजय नाथ दुबे, मेरिट क्रमांक-14 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2006

फा. क्र. 3249/3(बी)/35/2005/21-ब.—राज्य शासन, श्री विवेक कुमार वर्मा, आत्मज श्री राजकुमार वर्मा, मेरिट क्रमांक-35 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2006

फा. क्र. 2452/3(बी)/12/2005/21-ब.—राज्य शासन, श्री अजय सिंह राजपूत, आत्मज श्री कल्लू प्रसाद राजपूत, मेरिट क्रमांक-12 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2006

फा. क्र. 3267/3(बी)/02/2005/21-ब.—राज्य शासन, कु. ममता भोजवानी, आत्मजा डॉ. लक्ष्मण भोजवानी (तेजुमल), मेरिट क्रमांक-02 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2006

फा. क्र. 2898/3(बी)/34/2005/21-ब.—राज्य शासन, श्री श्रीकांत श्रीवास, आत्मज श्री मुन्नूलाल श्रीवास, मेरिट क्रमांक-34 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

फा. क्र. 2957/3(बी)/40/2005/21-ब.—राज्य शासन, श्री लीलाधरसाय यादव, आत्मज श्री प्रधान साय, मेरिट क्रमांक-40 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

फा. क्र. 2452/3(बी)/16/2005/21-ब.—राज्य शासन, श्री शहाबुद्दीन कुरैशी, आत्मज श्री नसीरूद्दीन कुरैशी, मेरिट क्रमांक-16 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 6/154/2005/वा.क.(आब.)/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2003 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित उम्मीदवारों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक दो वर्ष की परिवीक्षा पर जिला आबकारी अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500 में नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापना जिला आबकारी कर अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शाये जिले में की जाती है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरित होगा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2	श्री अरविन्द कुमार पाटले, आ. नवल सिंह पाटले, एच. आई. जी.-आर/बी-15, परिजात एक्सटेंशन, नेहरू नगर, बिलासपुर (छ.ग.)	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)
2.	3	सुश्री नीतु नोतानी, आ. मोहन लाल नोतानी, जय संतोषी माँ निवास, पुराना पावर हाऊस, मेन रोड तोरवा, बिलासपुर (छ.ग.)	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
3.	4	श्री नोहर सिंह ठाकुर, आ. स्व. गौतम सिंह ठाकुर, द्वारा - बी. एस. नायक, ओम भवन, प्लाट नं. 70, बोरसी रोड, न्यू आदर्श नगर, दुर्ग (छ.ग.)	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छ. ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

3. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छ. ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा. विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर अथवा सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो उसकी सेवाएं परिवीक्षावधि के अंत में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

5. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ आबकारी सेवा वर्ग 1 तथा 2 भरती नियम, 1966" के प्रावधानों के तहत शासित होंगे.

6. उपरोक्त अभ्यार्थियों की नियुक्ति "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण-पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अतः अभ्यार्थीगण जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग को प्रस्तुत करेंगे. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यार्थी के सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

7. उपरोक्त अभ्यार्थियों को संबंधित जिला कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय सहायक आयुक्त, आबकारी के समक्ष जाति प्रमाण-पत्र, मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यार्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण-पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

8. परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारुप में एक बॉण्ड शासन के हित में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

9. चयनित आवेदकों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

10. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण संबंधी नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 9-5/16/2005.— चूंकि महामंत्री छ.ग. केमिकल मिल मजदूर संघ, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा सेवा नियोजक केडिया डिस्टीलरी लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र नंदिनी रोड भिलाई, जिला-दुर्ग, द्वारा वर्ष 98 से 91 में काम से वंचित 32 श्रमिकों की सूची प्रस्तुत की गई है तथा व्यक्त किया गया है कि इन श्रमिकों को अवैध रूप से कार्य से वंचित किया गया जिसके कारण पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और चूंकि राज्य शासन को संतुष्टी हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) (अ) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, खण्डपीठ रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

1. क्या संलग्न परिशिष्ट में दर्शित कर्मकारों का सेवा पृथक्कीकरण वैध एवं उचित है ? यदि नहीं तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

2. क्या अनुक्रमांक एक के संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित कर्मकारों को विवाद के निराकरण होने तक अंतरिम राहत प्रदान करने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

केडिया डिस्टीलरी लिमि. भिलाई, दुर्ग

काम से वंचित श्रमिकों की सूची

क्रमांक (1)	श्रमिकों का नाम (2)	पिता/पति का नाम (3)	भर्ती दिनांक (4)	काम से वंचित दिनांक (5)
1.	प्रेमबाई	गणेश राम	जनवरी 89	08-04-91
2.	गुलाब बाई सोनी	दशरथ राम	जनवरी 89	08-04-91
3.	कुंवरिया बाई	मोहन लाल	जनवरी 89	08-04-91
4.	रामदीन यादव	जगदीश यादव	1988	25-06-91
5.	कमलनारायण वर्मा	बनऊ राम वर्मा	1988	25-06-91
6.	कैलाश चौधरी	बीरा चौधरी	1988	25-06-91
7.	रामअवतार	कोवा राम	1989	25-06-91
8.	तु राम	धुरसिंग	1989	25-06-91
9.	रोहित कुमार ठाकुर	फिरतू राम ठाकुर	1989	25-06-91

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	मनोहर ठाकुर	फिरंता राम	1989	08-05-91
11.	रामाराम वर्मा	धनुष राम वर्मा	1989	08-05-91
12.	पवित कुम्हार	मांझिया	1989	25-06-91
13.	संतोष कुमार लोधी	मानरिंग लोधी	1989	25 06 -91
14.	गोपाल	पूनाराम	1989	25-06-91
15.	नरेन्द्र कुमार कुर्रे	जोहन राम	1989	25-06-91
16.	फुलचंद वर्मा	भगत राम वर्मा	1989	25-06-91
17.	रेखाबाई साहू	महादेव	1989	08-04-91
18.	विनय कुमार गुप्ता	तुलसी राम	1988	25-06-91
19.	झालाराम	समारू राम वर्मा	1989	25-06-91
20.	राजेश गुप्ता	विनय गुप्ता	1989	25-06-91
21.	विनय गुप्ता	प्रभूनाथ	1989	25-06-91
22.	नित राम	जोहन लाल	1989	25-06-91
23.	तिलक राम	फूलसिंग साहू	1989	08-04-91
24.	रोमलाल	कृपा राम	1989	25-06-91
25.	मगेशिया बाई	नन्हे राम अहीर	1989	08-04-91
26.	फिरन्तीन बाई	हीरावन साहू	1989	08-04-91
27.	रामानंद निर्मलकर	किशन निर्मलकर	1989	08-04-91
28.	परस वर्मा	कपिल वर्मा	1989	08-04-91
29.	देवेन्द्र शर्मा	रामजी शर्मा	1988	25-06-91
30.	गेंदलाल	जगदीश	1988	25-06-91
31.	परेटम		1989	--,,--
32.	बालेश्वर	रामआश्रय	1989	25-06-91

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 10-9/16/2004.— कारखाना अधिनियम, 1948 (सन् 1948 का 63) की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचना एवं अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई, 2004 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री व्ही. के. कपूर, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ को मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये कारखाना निरीक्षक नियुक्त किया जाता है.

No. F 10-9/16/2004.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and in supersession of the all previous notification and notification dated 29th July, 2004 the State Government of Chhattisgarh hereby appoints Shri V. K. Kapoor, Commissioner Labour, Chhattisgarh, as the Chief Inspector of Factories and to exercise the powers of an Inspector throughout the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. कपूर, अपर मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 29 दिसम्बर 2005

क्रमांक/7646/क/भू-अर्जन/07/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दंतेवाड़ा	कारली	0.81	कमाण्डेंट, विशेष सशस्त्र बल नौंवी बटालियन, दन्तेवाड़ा.	बटालियन के लिये आवास एवं प्रशासनिक भवन हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1348.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	धरदेई प.ह.नं. 16	0.057	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर.	धरदेई माइनर नं. 4 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 दिसम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1349.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	सेमरिया प.ह.नं. 18	0.130	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	सेमरिया वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 जनवरी 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/81.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	जोंगरा प.ह.नं. 6	0.615	कार्यपालन यंत्री, नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	सरवानी वितरक नहर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 31 दिसम्बर 2005

क्रमांक 2086/ले. पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	टेकापार प. ह. नं. 124/3	0.976	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत बीजाभाठा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 दिसम्बर 2005

क्रमांक 2087/ले. पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	माहुद प. ह. नं. 5	2.66	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत भरदाकला डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 दिसम्बर 2005

क्रमांक 2089/ले. पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	भरदाकला प. ह. नं. 3	12.24	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत भरदाकला डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 1, 2 एवं चीरचार माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 दिसम्बर 2005

क्रमांक 2091/ले. पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	सिब्दी प. ह. नं. 4	0.77	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत बोजाभाठा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 दिसम्बर 2005

क्रमांक 2093/ले. पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	चिरचार प. ह. नं. 3	7.83	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत भरदाकला डिस्ट्रीब्यूटरी एवं चीरचार माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	औराभांठा प. ह. नं. 9	0.505	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन+सड़क), रायगढ़.	कुम्मुरा उसरौट तारापुर मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बालमगोड़ा प. ह. नं. 9	0.738	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन+सड़क), रायगढ़.	कुसमुरा जामपाली उसरौट तारापुर मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 9 जनवरी 2006

क्रमांक 219/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	घुघरी टोला प.ह.नं. 6	2.30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	साल्हेवारा जलाशय अन्तर्गत मुख्य बायीं तट नहर नाली.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 जनवरी 2006

क्रमांक 220/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	अचानकपुर नवागांव प.ह.नं. 6	2.96	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	लछना व्यपवर्तन अन्तर्गत मुख्य नहर नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 जनवरी 2006

क्रमांक 1/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	भरदागोड़ प.ह.नं. 18	1.64	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पंडरिया जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 जनवरी 2006

क्रमांक 2/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	विचारपुर प.ह.नं. 18	12.15	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पंडरिया जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 जनवरी 2006

क्रमांक 3/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	डोकराभांठा प.ह.नं. 24	2.99	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, संभाग, छुईखदान.	डोकराभाठा जलाशय डूबान निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 2 जनवरी 2006

प्र.क्र. 10 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	केजादाह	6.750	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स/लोहारा जिला- कबीरधाम (छ.ग.)	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत बायीं मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 2 जनवरी 2006

प्र.क्र. 11 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	दारगांव	0.541	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा जिला- कबीरधाम (छ.ग.)	नवागांव व्यपवर्तन योजना के एफलक्स बण्ड निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 13 जनवरी 2006

क्रमांक 316/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कसारी, प.ह.नं. 69/8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.55 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1	0.12
4/1	0.17
10/1	0.40
17/1	0.12
158	0.25
201	0.16
535	0.60
539	0.25
541/2	0.11
20/3	0.03
108/1	0.66
112/10	0.18
9/1	0.45
16	0.07
160/3	0.30
200/1	1.06
527/2	0.37
541/1	0.10
112/5	0.14
11/1	0.28
18	0.20
155/1	0.35
135	0.16
533/2	0.21
540/2	0.27
541/3	0.01
35/3	0.30
109/3	0.23
114	0.24
542/3	0.20
38/2	0.11
112/2	0.14
3/2	0.07
113	0.30
2	0.30
175/1	0.23
21	0.41
161	0.02
155/3	0.35
220/1	0.63
532	0.56
529/1	0.37
542/2	0.08
38/1	0.24
110/1	0.50
3/1	0.16
209	0.23
528	0.16
538	0.04
548/1	0.02
22	0.29
537/2	0.19
540/1	0.43
176	0.26
533/1	0.29
107	0.04
112/4	0.14
योग 57	14.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- खैरबना जलाशय योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 जनवरी 2006

क्रमांक 353/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगांव
(ग) नगर/ग्राम-कोहका, प.ह.नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.826 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
205/2, 207/2	0.008
205/13, 207/13	0.193
212/2	0.169
262/2	0.072
205/12, 207/12	0.012
212/1	0.049
262/1	0.089
213/1	0.004
293	0.332
215/1	0.053
215/3	0.061
217	0.016
234/2	0.036
216/2	0.040
265/2	0.121
215/4	0.081
235/1	0.072
235/7	0.061
235/2	0.101
257/1	0.133
261/1	0.049
261/2	0.040
263	0.049
268/2	0.008
269/1	0.081
269/2	0.081
285/1	0.081
285/4	0.008
292/2	0.049
294/1	0.008
296/1	0.169
297/2	0.008
297/1क	0.085
301/1	0.141
301/2	0.125
306	0.125
214/3	0.016
योग 37	2.826

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मोंगरा बॅराज परियोजना के कोहका लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा बॅराज परियोजना, जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 जनवरी 2006

क्रमांक 354/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-राजनांदगांव
(ग) नगर/ग्राम-अछोली, प.ह.नं. 60
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.442 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
55/4	0.152

(1)	(2)
188/1	0.004
55/5	0.105
55/8	0.061
39/2	0.016
55/6, 55/9, 55/11, 55/12	0.241
398/3	0.105
55/17	0.024
398/5	0.012
398/11	0.032
61/2	0.289
62/1	0.073
320/1	0.061
63/1	0.128
319	0.101
63/2	0.193
400/3	0.053
63/3	0.162
400/2	0.170
64/4	0.109
318/2	0.024
320/2	0.081
320/4	0.004
321/1	0.141
322	0.225
323/1, 323/2	0.141
324/5	0.121
62/2	0.243
166/2	0.358
167/2	0.020
167/1	0.008
189	0.334
166/1	0.324
187	0.237
166/3	0.041
456/1	0.101
455/2	0.302
400/1	0.040
398/4	0.105
398/10	0.045
185	0.145
163/3	0.121
163/4	0.016
296/33	0.012
305/1	0.121
310	0.041
योग 46	5.442

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मोंगरा बॅराज परियोजना के अछोली लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा बॅराज परियोजना, जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 जनवरी 2006

क्रमांक 355/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगांव

(ग) नगर/ग्राम-मोहड़, प.ह.नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.046 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
526/2	0.028
526/5	0.056
680/2	0.167
682	0.283
683	0.008
695	0.016
696	0.089
705	0.085
704/1	0.097

(1)	(2)
704/2	0.101
734/3	0.166
734/4	0.117
735	0.089
736/1	0.024
736/2	0.028
738/2	0.210
282/1	0.130
282/2	0.122
282/3	0.077
283/1	0.101
284/3	0.012
285/2	0.004
283/2	0.179
283/3	0.049
285/1	0.061
287/1	0.024
287/3	0.202
287/2	0.506
289/1-2	0.016
307/1	0.040
280	0.024
383/1	0.089
383/2	0.065
383/3	0.243
385	0.041
2	0.182
6	0.032
7	0.113
11	0.206
12	0.316
13/2	0.222
18/2	0.061
40/1	0.020
41/1-3	0.142
56/1	0.121
56/2	0.174
56/4	0.020
57	0.121
58/1	0.125
59/5	0.032
59/6	0.105
59/7	0.101
104/1, 104/2	0.113
105/1	0.138
105/2	0.049
107	0.113
554	0.223
113	0.040
114/2	0.065
115	0.189
116	0.085
122	0.145
121	0.101
550	0.057
123/1	0.230
183/3	0.129
179	0.121
178/1	0.024
178/2	0.004
183/1	0.129
551	0.105
552/1	0.012
552/2	0.053
552/3	0.061
552/4	0.053
552/2	0.004
124	0.153
123/2	0.008
योग 78	8.046

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मोंगरा बॅराज परियोजना के मोहड़ लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा बॅराज परियोजना, जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1350/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-चोरिया, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
402	0.012
योग 1	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लखाली डि. ब्यू. के माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1351/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्री, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.028 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
413/3, 413/1	0.028
योग	0.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पेण्ड्री माइनर नं. 4 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1352/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-लखाली, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल -0.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
635/6	0.008

(1)	(2)
635/5	0.004
634/2	0.012
628/7	0.012
योग 4	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक्ता है- लखाली डि. ब्यू. के माइनर नं. 12 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1353/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पेन्डरी सुकुल, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.207 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2	0.012
11	0.004
14	0.097
49	0.049
45	0.045
योग 5	0.207

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पेन्डरी माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1354/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-सारागांव, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.049 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2411/3	0.049
योग 1	0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पचोरी डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1355/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील -चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-सारागांव, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2188/2	0.032
योग 1	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- परसापाली डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1356/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-भुरसीडीह, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.765 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
207/2, 210/3	0.129
211/3	0.057
211/2	0.057
106, 532	0.170
212/3	0.028
186	0.012
213/1	0.012
212/4	0.020
185/1	0.053
213/2	0.004
111	0.053
107/2	0.065
107/1	0.105
योग 13	0.765

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - भुरसीडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1357/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सकरेली (बा.), प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.593 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1252/80	0.032

(1)	(2)
1252/91	0.020
1252/2	0.142
1214	0.214
1213/1	0.040
1213/3	0.016
1213/4	0.016
1213/2	0.053
1218/2	0.012
1207/2	0.008
1206	0.290
1218/1	0.053
1201/1	0.134
1205/3	0.045
1205/2	0.040
1205/5	0.065
1204	0.077
1203/1	0.045
1198/1	0.049
1198/4	0.129
1198/2	0.077
1198/3	0.036
योग 22	1.593

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सकरेली माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1358/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-लछनपुर, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12/13	0.020
12/5	0.016
12/4	0.020
12/6	0.016
योग 4	0.072

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लछनपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1359/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-कुम्हारी कला, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
89/10	0.016
89/18	0.016
योग 2	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लछनपुर उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1360/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रायपुरा, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
297/3	0.061
297/26	0.024
योग 2	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सराईपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1361/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सरवानी (बा.), प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
761/4	0.036
योग 1	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सरवानी माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1362/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-डेरागढ़, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.305 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	33/3	0.053
	76	0.040
	266	0.036
	225	0.040
	267	0.036
	269/1	0.004
	252/3	0.012
	251/2	0.004
	249	0.028
	248	0.016
	223	0.004
	870/3	0.032
योग	12	0.305

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भकूडेरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1363/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-रानीगांव, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.044 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	6/3	0.024
	54/2, 55/2	0.020
योग		0.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भकूडेरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1364/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-रानीगांव, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
213/1	0.121
योग 1	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हरदी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1365/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-छितापंडरिया, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10	0.077
15/1, 15/4	0.036
118	0.016
योग	0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छितापंडरिया माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक 47/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलकर्री, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
604/1	0.024
402/1	0.012
योग	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बेलकर्री सब माइनर I.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक 48/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-काशीगढ़, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.187 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
431/5	0.053
431/16	0.053
459	0.081
योग	0.187

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- काशीगढ़ सब माइनर नहर. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक 49/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खजुरानी, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.873 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
21/1	0.065
21/2	0.008
21/3, 21/4, 22	0.240
23	0.214
139	0.032
25	0.016
142	0.040
143	0.036
465	0.028
218/3	0.016
1390/3	0.032
464	0.089
472/1	0.057
योग	0.873

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मुरलीडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक 50/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-पाड़ाहरदी, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.056 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
947/2	0.016
947/3	0.004
947/5	0.024
947/8	0.008
947/9	0.004
योग	0.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- करमन डीह सब माइनर नहर. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक 52/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बरपाली, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.052 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
339/3	0.024
353/5	0.024
352	0.004
योग	0.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक 53/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-डोंगरीडीह, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.443 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/2	0.008
5/2	0.040
1/6	0.077
1/9	0.036
1/28	0.077

(1)	(2)
19/13	0.048
44/3	0.024
10/1	0.008
47/6	0.097
19/8	0.012
24/4	0.016
योग	0.443

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अमलीडीह ब्रांच सब मा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक 56/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-बासीन, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.798 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
100	0.020
528/9	0.061
531/1	0.053
532	0.061
577/4	0.089
577/2	0.113
585	0.057
592	0.101
611/2	0.081
611/3	0.069
613/2	0.032
84/2	0.061
योग	0.798

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- असौंदा माइनर नहर निर्माण हेतु. (असौंदा माइनर)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक 57/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मलनी, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.423 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
276	0.029
275	0.020
284/3	0.012
284/1	0.008

(1)	(2)
272/2	0.043
273	0.050
294/1	0.041
296, 297, 298	0.046
295	0.004
443	0.014
440, 441, 442	0.023
438	0.021
362/3	0.044
365/6	0.036
372	0.032
योग 15	0.423

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मलनी माइनर नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक 58/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-बासीन, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.044 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
862/1	0.044
योग	0.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पासीद माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक 59/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-खैरा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
187	0.040
योग	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अचानकपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक 60/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दलौद, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
792/2	0.121
योग	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खैरागढ़ संब माइनर नहर. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक 61/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पतेरापाली कला, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.170 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
852/2	0.008
43	0.020
9	0.053
768	0.053
35	0.020
876/2	0.016
योग	0.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जुनवानी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक 62/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मसनिया कला, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.077 हेक्टेयर,

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
74/2	0.077
योग	0.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गठगोढ़ी उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक 63/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पासीद, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.244 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/5	0.024
3/4	0.040
3/2 ख, 8/2 ग	0.061
3/8	0.012
4/1	0.052
4/3, 4/8	0.055
योग	0.244

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - पुटेकेला उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 4 जनवरी 2006

क्रमांक 26/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-खैरझिटी, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.87 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
982	0.01
983	0.01
1262	0.15
1078/2	0.04

(1)	(2)
1080	0.22
1091	0.12
1109	0.06
1111/1	0.22
1115/2	0.03
1261	0.05
1157	0.12
1159/4	0.08
1274	0.02
1191	0.01
1195/1, 2	0.01
1203/1	0.01
1213	0.25
1252/1	0.05
1273	0.11
986	0.04
984	0.04
1277	0.10
1078/3	0.09
1081	0.20
1092	0.05
1110	0.06
1111/2	0.08
1118	0.03
1271	0.18
1153	0.15
1160/2	0.10
1167	0.20
1193	0.10
1195/3, 4	0.03
1203/2	0.03
1214	0.18
1252/4	0.05
1275	0.03
1037/1	0.04
985	0.07
1037/2	0.16
1079	0.32
1084	0.06
1094	0.06
1165	0.09
1112	0.02
1119	0.03
1278	0.10
1155	0.13
1163	0.27
1182/1	0.08
1192	0.30
1201	0.30
1203/3	0.09
1249	0.01
1254	0.03
1255	0.05
1260	0.17
1078/1	0.10
1211	0.18
1089	0.25
1090	0.02
1276	0.05
1113	0.03
1259	0.08
1152	0.03
1159/3	0.09
1164	0.08
1183	0.08
1194	0.03
1202/2	0.01
1212	0.05
1252/2	0.07
1258	0.03
योग	6.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आमनेर मोती नाला व्यप., शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 जनवरी 2006

क्रमांक 29/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-धमधा
(ग) नगर/ग्राम-करेली, प. ह. नं. 11
(घ) लगभग क्षेत्रफल-30.12 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1086	0.03
1084	0.09
1032	1.30
1042	0.30
1043/2	1.06
1043/5	0.40
1061	1.84
1053	0.21
1060	0.31
1065	0.82
1085	0.05
1066	0.70
1035	0.66
1034	3.18
1043/3	1.00
1045	0.17
1049	0.16
1058	0.33
1055	0.09
1074/2	0.32
1083	0.06
1026	0.11
1039	0.07
1040	0.30
1043/6	1.00
1048	0.30
1051	0.21
1054	0.13
1057	0.19
1029/4	4.28
1082	0.15
1031	0.32
1033	0.60
1044	3.40
1043/7	1.00
1050	0.19
1052	4.18
1056	0.08
1059	0.23
689/4	0.30
योग	30.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोकड़ी जलाशय हेतु बांधपार एवं डुबान.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 जनवरी 2006

क्रमांक 32/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-दुर्ग
(ग) नगर/ग्राम-बासीन, प. ह. नं. 11
(घ) लगभग क्षेत्रफल-30.54 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
894	0.31
911	0.07
908	0.78
917	0.86
915	0.36
928	0.43

(1)	(2)
932/1	2.23
935	0.04
982	0.11
984	0.02
990	0.11
992/1	0.34
995	0.09
997/1	0.01
1024	0.22
1045	0.24
1034	0.08
1044	0.08
1039	0.04
1052	0.05
1064	0.24
938	0.54
902	0.14
905	0.58
909	0.75
926	0.95
916	1.24
930	1.46
932/2	0.50
1035	0.30
983/1	0.58
987	0.01
991	0.40
992/2	0.60
1053	0.13
1010	0.15
1026	0.04
1027	0.14
1037	0.33
1028	0.04
1041	0.03
1054	0.13
907	0.42
896	0.29
903	0.33
910	0.27
919	0.25
914	0.15
920	0.30
929	1.05
933	3.35
1038	0.13
983/2	0.50
988	0.02
985	0.01
1057	0.13
1055	0.08
1013	0.05
1046/1	0.35
1029	0.07
1040	0.05
1033	0.21
1036	0.13
1056/1	0.05
901	0.17
904	0.35
918	0.50
912	0.10
914/2	0.15
921	1.67
931	1.24
934	0.21
936	0.47
1012	0.10
989	0.11
986	0.02
993	0.17
996	0.04
1018	0.07
1025	0.37
1030	0.07
1042	0.48
1031	0.13
1043	0.08
1056/2	0.10
योग	30.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- करंजा भिलाई जलाशय हेतु भूमि अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/3 अ/82 वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची,

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-रीवांडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.05 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
153	1.05
योग	1.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- भवानीपुर से रीवांडीह मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बलौदा-बाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बनसिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.073 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
830/2	0.073
योग	0.073

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मिट्ठूमुड़ा, सांगीतराई, ननसिया, बनसिया मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-कोसमनारा (कलारमुड़ा)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
47/1	0.028
47/1	0.053
योग 2	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुलारमुड़ा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-[illegible]मगांव-

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.020 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
546	0.008
547	0.053
555/1	0.093
555/2	0.093
556	0.113
557	0.283
558	0.040
560	0.049
554	0.256
588	0.073
591	0.097
612	0.178
559	0.145
561	0.113
559	0.145
561	0.113
555/3	0.097
587	0.134
562	0.113
563	0.178
577/578	0.599
565	0.166
579/1	0.121
580	0.121
582/3	0.032
567	0.130
569	0.105
576/1	0.482
570/2	0.008
586/9	0.020
579/2	0.174
583/1	0.069
583/2	0.069
579/3	0.170
570/10	0.117
584	0.202
585	0.250
590	0.069
योग 34	5.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कलारमुड़ा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2005

क्रमांक 3/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-सकरी
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.040
योग	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोपरा नवापारा मार्ग के कि.मी. 1/8 पर घोंघा सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 5 जनवरी 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-पोंड़ी, प.ह.नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.918 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1404/2	0.287
1404/3	0.069
1405	0.053
1528/1	0.040
1529/2, 1529/4	0.186
1537/1	0.032
1537/4	0.138
1538	0.113
योग 8	0.918

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.